



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं. 60011/03/2013-पी.एण्ड सी.(पार्ट)

दिनांक: 07 फरवरी, 2013

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्व क्षेत्र
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी ।

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
आर सी डी यू/एफ आई यू
नई दिल्ली ।

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/ चेन्नई/ त्रिवेन्द्रम ।

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली ।

प्रधानाचार्य
नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज
बमरौली, इलाहाबाद ।

महाप्रबन्धक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सी.आर.एस.डी. नई दिल्ली ।

विषय : Strict Compliance of the provisions contained in the Flag Code of India 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या 34/02/2013-सी एण्ड डब्ल्यू दिनांक 29 जनवरी, 2013 की प्रतिलिपि इसके अनुलग्नको सहित इस उद्देश्य के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन हेतु परिपत्रित करें ।

नज्द/सी.डी.

भवदीय
उषा धींगड़ा
(उषा धींगड़ा)

सहायक महाप्रबन्धक (एच आर)

प्रति:

1. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
2. महाप्रबन्धक (आई टी)- for uploading on AAI website.
3. सूचना पट्ट

199/4m/17
18/02/13

कार्यपालक निदेशक (आई.टी.)

PS to M(HR)
No. 34/02/2013-C&W
Government of India
Ministry of Civil Aviation

Rajiv Gandhi Bahwan,
Safdarjung Airport,
New Delhi
Dated 29th January, 2013

To,

1. The Director General, (Shri Arun Mishra)
DGCA, Safdarjung Airport, New Delhi.
2. The Commissioner of Security (CA)
(Shri Anil Shrivastava), BCAS, Janpath, New Delhi.
3. The Chief Commissioner of Railway Safety,
(Shri Prashant Kumar), Ashok Marg, Lucknow.
4. The CMD, (Shri Rohit Nandan), Air India Ltd.
Air India Building, Nariman Point, Mumbai.
- ✓ 5. The Chairman, (Shri V.P. Agrawal),
Airports Authority of India, C-Block, Rajiv Gandhi Bhawan,
Safdarjung Airport, New Delhi.
6. The CMD (Shri Anil Shrivastava)
PHHL, Pawan Hans Tower, C-14, Sector-1, Noida-201301
7. The Director (Shri V.K. Verma)
IGRUA, Rae Bareilly (U.P.).
8. The Chairman (Shri Yashwant Bhawe)
AERA, AERA Building, Administrative Complex,
Safdarjung, New Delhi.

Subject:- Strict Compliance of the provisions contained in the Flag Code of India 2002 and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of letter No. 15/3/2013-Public dated 18th January, 2013 received from Ministry of Home Affairs on the subject noted above for strict compliance.

Yours faithfully,

AK
(Amit Ghosal)

Under Secretary to the Government of India
Tele/Fax No. 24610378

676/EP(HR)
31/1/13
27/1/13
01/2/13

FTS-2537/2012
28/1/13

15 (7)

No. 15/3/2013-Public
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

1
7

North Block New Delhi.
Dated the 17 January, 2013

18 JAN 2013

To,

The Chief Secretaries / Administrators of
all State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Depts. of Govt. of India.

Subject: Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India 2002
and Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 19/11/2012-Public dated 28.05.2012 on the subject noted above and to say that complaints are being received by this Ministry about the insult or disrespect to the Indian National Flag on several occasions. Accordingly, a copy each of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India are enclosed herewith for strict compliance of the provisions contained in the Act and the Flag Code.

2. It is requested that suitable instructions in this regard may please be issued to all concerned agencies. Strict action should be taken against the concerned officials and individuals/organisations for any violation of the provisions contained in the said Act and the Flag Code of India. You are also requested to create awareness programme in this regard.

Encl: As above.

Yours faithfully,

Shyamala Mohan

(Shyamala Mohan)

Director to the Govt. of India
Tel. No. 2309 2587

Swells

23/1/13

6
सं. 15/3/2013-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 11 जनवरी, 2013

सेवा में

10 JAN 2013

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के
मुख्य सचिव एवं प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट
उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 28.5.2012 के पत्र सं. 19/11/2012-पब्लिक का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कई एक अवसरों पर इस मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान अथवा असम्मान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि सभी संबंधित एजेंसियों को इस संबंध में उपर्युक्त अनुदेश जारी किए जाएं। उक्त अधिनियम तथा भारतीय झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों/संगठनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आपसे यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें।

भवदीया,

श्री. श्यामला

(श्यामला मोहन)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 2587

संलग्नक- यथोपरि

77 (5)

THE PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR ACT, 19

No. 69 of 1971

(23rd December, 1971)

(Amended by the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005,

No. 51 of 2005

(20th December, 2005)

An Act to Prevent Insults to National Honour

Be it enacted by Parliament in the Twenty- second year of the Republic of India as follows: -

1. SHORT TITLE AND EXTENT

(1) This Act may be called the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

(2) It extends to the whole of India.

2. INSULT TO INDIAN NATIONAL FLAG AND CONSTITUTION OF INDIA

Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or *otherwise shows disrespect to or brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag or the Constitution of India or any part thereof, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Explanation 1 – Comments expressing disapprobation or criticism of the Constitution or of the Indian National Flag or of any measures of the Government with a view to obtain an amendment of the Constitution of India or an alteration of the Indian National Flag by lawful means do not constitute an offence under this section.

Explanation 2 – The expression, “Indian National Flag” includes any picture, painting, drawing or photograph, or other visible representation of the Indian National Flag, or of any part or parts thereof, made of any substance or represented on any substance.

Explanation 3 – The expression “public place” means any place intended for use by, or accessible to, the public and includes any public conveyance.

*Explanation 4 - The disrespect to the Indian National flag means and includes—

(a) a gross affront or indignity offered to the Indian National Flag; or

(b) dipping the Indian National Flag in salute to any person or thing; or

~~(c) flying the Indian National Flag at half-mast except on occasions on which the Flag is flown at half-mast on public buildings in accordance with the instructions issued by the Government; or~~

- (d) using the Indian National Flag as a drapery in any form whatsoever except in state funerals or armed forces or other para-military forces funerals; or
- (e) #using the Indian National Flag:-
 - (i) as a portion of costume, uniform or accessory of any description which is worn below the waist of any person; or
 - (ii) by embroidering or printing it on cushions, handkerchiefs, napkins, undergarments or any dress material; or
- (f) putting any kind of inscription upon the Indian National Flag; or
- (g) using the Indian National Flag as a receptacle for receiving, delivering or carrying anything except flower petals before the Indian National Flag unfurled as part of celebrations on special occasions including the Republic Day or the Independence Day; or
- (h) using the Indian National Flag as covering for a statue or a monument or speaker's desk or a speaker's platform; or
- (i) allowing the Indian National Flag to touch the ground or the floor or train in water intentionally; or
- (j) draping the Indian National Flag over the hood, top, and sides or back of on a vehicle, train, boat or an aircraft or any other similar object; or
- (k) using the Indian National Flag as a covering for a building; or
- (l) intentionally displaying the Indian National Flag with the "saffron" down

3. PREVENTION OF SINGING OF NATIONAL ANTHEM

Whoever intentionally prevents the singing of the Indian National Anthem or causes disturbances to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years, or with fine, or with both.

*3A MINIMUM PENALTY ON SECOND OR SUBSEQUENT OFFENCE

Whoever having already been convicted of an offence under section 2 or section 3 is again convicted of any such offence shall be punishable for the second and for every subsequent offence, with imprisonment for a term, which shall not be less than one year

Note 1: * Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2003 (No. 31 of 2003 dated 8.5.2003)

~~Note 2: # Inserted vide The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2005 (No. 51 of 2005 dated 20.12.2005)~~

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51

(20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राईंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

- (क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या
- (ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या
- (ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या
- (घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या
- (ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,
 - (i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या
 - (ii) कुशनों, रूमालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या
- (च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या
- (छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या
- (ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या
- (झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या
- (ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या
- (ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या
- (ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।